

want to interrupt me when I am making a statement? He goes on doing it. (Interruptions) I don't want to call anybody any names. He has a right to say; perhaps he thinks he has a right to call others liars. I do not want to say anything.

श्री राज नारायण : हमने आपको लायर नहीं कहा। आपके भाषण में असत्य था।

श्री मोरारजी देसाई : भाषण में असत्य है, तो मैंने ही कहा होगा, दूसरा किसने कहा ?

There cannot be any 'lie' in this and lungs are no proof of the truth of any fact. That must also be understood. Loud vehemence and loud retorts do not establish that right is on their side. Therefore, let it be considered coolly. I had to do it because if a Cabinet Minister behaved in this manner in public, even supposing he considered a prohibitory order to be wrong, a Cabinet Minister must not flout it. I have no doubt about it in my mind.

श्री मंत्री राम बागड़ी : आपने खुद कहा है..... (व्यवधान)

SHRI MORARJI DESAI: And this is how you observe discipline and this is the demonstration of it. I have nothing further to say.

14.30 hrs.

DELHI POLICE BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up the following motion moved by Shri S. D. Patil on the 23rd August, 1978, namely:—

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to the regulation of the police in the Union Territory of Delhi, as amended, be passed."

Yesterday, this Bill could not be passed. Now, let the lobbies be cleared.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to the regulation of the police in the Union Territory of Delhi, as amended, be passed".

The motion was adopted..

14.30 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rameshwar Patidar.

[SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN in the Chair]

(i) REPORTED DISCONTENTMENT AMONG THE PEOPLE OF MADHYA PRADESH OVER NARMADA TRIBUNAL AWARD.

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान ऐसे सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके कारण मध्य प्रदेश में असन्तोष एवं काफी रोष है। मध्य प्रदेश के धार खरगोन इलाके में नर्मदा प्राधिकरण द्वारा जो फैसला दिया गया है, उसमें मध्य प्रदेश के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है और न ही म० प्र० की सिचाई एवं पानी की आवश्यकता पर ही उचित ध्यान दिया गया है। 76 लाख एकड़ नर्मदा कछार की भूमि में मध्य प्रदेश सिचाई करना चाहता है। ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त कृषि विशेषज्ञ डा० अम्बिका सिंह ने मध्य प्रदेश को 20 एम० ए० एक० पानी देने की सिफारिश की थी, जिसे ट्रिब्यूनल ने भुला दिया है। गुजरात को अर्वाइड द्वारा जो आई० एम० ए० एक० पानी एलाट किया गया है, उतना पानी काफी कम उंचे नवागाम बांध से भी गुजरात को मिल सकता था।

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

नवागाम को अब सरदार सरोवर नाम दिया गया है। सरदार पटेल जिन्दा होते तो जिन्दा लोगों की लाशों पर बनने वाले इस बांध को कभी स्वीकार नहीं करते। इसके लिये मध्यप्रदेश के खरगोन एवं धार जिले की हजारों एकड़ नर्मदा कछार की देश की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को डुबाने की आवश्यकता नहीं थी। निमाड़ के हजारों लोगों को बेघर करने की आवश्यकता नहीं थी।

गुजरात-राजस्थान की जिस भूमि में सिंचाई का प्रावधान है, वह इतनी उपजाऊ नहीं है, मध्य प्रदेश की भूमि की तुलना में तो नगण्य उपजाऊ है, कच्छ का रण और अन्य हजारों एकड़ भूमि तो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है।

मध्य प्रदेश को ब्रिजनी की भूख नहीं, पानी की प्यास है, उसे सिंचाई के लिये और अधिक पानी की आवश्यकता है।

पुनासा बांध से उसे गुजरात के 10 लाख एकड़ फुट पानी रैगुलर रिलीज करना पड़ेगा। जबकि गुजरात को निश्चित रूप से पुनासा बांध (मध्य प्रदेश) से पानी, मिलना ही है, तब 455 फुट ऊंचे नवागाम बांध की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के कारण निर्माण का काफी अहित होगा, मध्य प्रदेश की प्रगति का काफी आघात पहुंचेगा।

मध्य प्रदेश की जनता खासकर निर्माण की जनता इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पायेगी।

(ii) FLOODS IN BIHAR

श्री राम विलास पासवन (हजीपुर) : सभापति महोदय, बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने बहुत पहले से लिख कर दिया हुआ है, मैं समझता हूँ कि अब तो बाढ़ की विनाश लीला चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने जो नियम 377 के अन्तर्गत लिख कर आपको दिया है वही पढ़कर सुनाता हूँ।

राजकीय उच्च मार्ग 31 के ऊपर से पानी बह रहा है। बिहार और आसाम के बीच यातायात का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हाजीपुर (बैशाली) जिले में, जहां से मैं जीत कर आया हूँ, राधोपुर एवम् महानार प्रखंड बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गये हैं, तथा वहाँ के निवासी इधर-उधर शरण ले रहे हैं। खगड़िया सुरक्षा बांध टूट गया है और नगर में पानी घुस गया है। बरोनी औद्योगिक क्षेत्र में भी पानी घुसने की संभावना है। मुंगेर का बंदूक कारखाना एवम् जमालपुर कारखाना भी खतरे में है। दानापुर सैनिक छावनी खतरे में है। सिवान, सोनपुर, समस्तीपुर में, समस्त उत्तरी बिहार में, बाढ़ की विनाश लीला चरम उत्कर्ष पर है। सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं और करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई है। जन-जीवन अस्तव्यस्त है। लोगों को अविनाश राहत एवम् रक्षा की आवश्यकता है। लाखों लोग संकट में घिरे हैं। केन्द्रीय सरकार अविनाश राहत एवम् रक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से ध्यान दे, तथा बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत-कार्य युद्ध-स्तर पर चलाये। वह सेना को आवश्यकतानुसार भेजे, जिससे जन-जीवन की रक्षा की जा सके।

(iii) REPORTED DEMOLITION OF SHOPS IN SHASTRI BAZAR IN SOUTH DELHI

SHRI K. GOPAL (Karur): Madam, I am thankful to you for having allowed me to speak on this important matter. On the 20th August, 1978, the Police and the CRPF swung into sudden action in the Shastri Bazar market in South Delhi and pulled down 100-odd shops of that market. It was shocking that the shopkeepers were given no prior notice. They were not even given time to remove their goods and their belongings. All these shopkeepers were poor vegetable sellers. They have been deprived of all their belongings and means of livelihood.

The Shastri Market serves the needs of several residential colonies in South Delhi and the demolition of the market has caused immense inconvenience to